



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021

आश्विन 6, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 2205/आठ-3-2021

लखनऊ, 28 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-352

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्या 3518(6)/37-3-59एन०के०वी०-79 दिनांक 31 जुलाई 1982 (यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 4282/9-आ-3-2000-59एन०के०वी०-79) दिनांक 05 जनवरी 2001 द्वारा विनियमित क्षेत्र शाहजहाँपुर के लिए नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड का गठन किया गया था।

चूँकि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र शाहजहाँपुर द्वारा विनियमित क्षेत्र शाहजहाँपुर के नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड के पुनर्गठन किये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि विनियमित क्षेत्र, शाहजहाँपुर के नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है।

अतएव, अब उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से विनियमित क्षेत्र, शाहजहाँपुर के नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड का निम्नवत् पुनर्गठन किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियंत्रक प्राधिकारी

1	जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, शाहजहाँपुर।	सदस्य
4	नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहाँपुर।	सदस्य
5	अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन, शाहजहाँपुर।	सदस्य
6	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड, बरेली।	सदस्य
7	अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड) शाहजहाँपुर।	सदस्य
8	अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, शाहजहाँपुर।	सदस्य
9	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, शाहजहाँपुर।	सदस्य

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।